न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 188 / 2022
दावा अन्तर्गत :– धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. लिछमणकंवर पत्नि किसनदान जाति चारण निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर

वादी............

बनाम

1. कीर्तिप्रकाश पुत्र किसनदान जाति चारण निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर
2. AMP Energy green pvt. Ltd. कार्यालय 309, तीसरा तल वन शेरेतल होटल के पीछे सकेत नई दिल्ली
3. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण.............

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 28.10.2022

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम बड़ीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 79 रकबा 67.0600 हैक्टेयर भूमि के रूप में स्थित है। जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। जमाबंदी सम्वत 2068–2071 व 2076–2079 संलग्न वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में किसनदान, माधूदान, प्रभूदान पि. भेरदान कौम चारण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। किसनदान पुत्र भेरदान का देहान्त हो चुका है और किसनदान के देहान्त के पश्चात किसनदान का सजरा खानदान निम्नानुसार है :–

किसनदान पुत्र भेरदान

लिछमणकंवर (पत्नि)	कीर्तिप्रकाश (पुत्र)	सुमन [illegible]	मंजूषा [illegible]

उपरोक्त वंशावली अनुसार किसनदान पुत्र भेरदान के हिस्से की [illegible]नदान के सभी वारिसान का हक व हिस्सा बनता है और इसी अनुसार [illegible] पूर्व में वादिनी के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किस[illegible]स्व रेकर्ड में दर्ज थी और किसनदान से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक भूमि [illegible]से जरिये फौतेदगी नामान्तरण के प्राप्त हुई है। मुतवफी किसनदान के फौतेदगी का नामान्तरण संख्या 927 मौजा बडीसिड

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

प्रतिवादी संख्या 1 व उनकी बहिनों ने पटवारी हल्का से मिलावट कर अपने नाम से भरवाकर स्वीकृत करवा लिया है और प्रतिवादी संख्या 1 की बहिनों ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जरिये पंजीबद्व हकर्तकनामा के त्याग दिया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 1614 मौजा बडीसिउ भरा जाकर स्वीकृत हुआ। जबकि उक्त भूमि में वादिनी का भी पैतृक हक व हिस्सा निहित है और उक्त भूमि पर वादिनी का अपने पैतृक 1/4 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी अकेले का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये वादिनी नामान्तरण संख्या 927 व 1614 मौजा बडीसिड को निरस्त करवा कर ग्राम बडीसिड पटवर हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 79 रकबा 3.6341 हैक्टेयर भूमि मे अपने पैतृक 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारिणी है जिसका यह दावा पेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय स्तर से नोटिस तामिल होने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाब पेश किया। जवाब दावा में बताया कि नामान्तरण संख्या 927 व 1614 मौजा बडीसिड को निरस्त किया जाकर ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 79 रकबा 3.6341 हैक्टेयर में वादिनी को उनके पैतृक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमें किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया। जवाब में बताया कि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 79 रकबा 3.6341 हैक्टेयर भूमि में वादिनी का नाम पूर्व में नामान्तरण संख्या 927 मौजा बडीसिड के जरिये कुदरती वलिया के रूप में ही दर्ज हुआ था। वादिनी को उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार प्रतिवादीण को सुनवाई का अवसर देकर घोषित किया जाना उचित है। प्रतिवादीगण की और से विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विवादग्रस्त ग्राम बडीसिड के पूर्व खाता संख्या 471 प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य खातेदारों की शामलाती भूमि दर्ज थी। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा हो चुका है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण की आराजी भूमि ग्राम बडीसिड के खाता संख्या 113 की नवीनतम जमाबंदी के खसरा नम्बर 79 रकबा 3.6341 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी भूमि हमारी जद्दी जायदाज है। बहस में यह भी कथन किया कि [illegible] प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है, इस आधार पर वा[illegible] सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में अधिवक्ता वादीगण ने [illegible] 927 की चित्रप्रति पेश की, के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति साबित [illegible] वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवदेन किया है।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verifi
Digitally signed by Mang
Date: 2024.02.06 14:53:3
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बडीसिड के नामान्तरण संख्या 927 व वर्तमान जमाबंदी से वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति होने से वादिनी का हक निहित है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नही है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम बडीसिड के खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 79 रकबा 3.6341 हैक्टेयर भूमि में वादी को 1/4 हिस्से ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ब.हि.ब. दर्ज रहेगा। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा कम हो। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मागीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mang
Date: 2024.02.06 14:53:
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. लिछमणकंवर पत्नि किसनदान जाति चारण निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर

वादी..........

बनाम

1. कीर्तिप्रकाश पुत्र किसनदान जाति चारण निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर
2. AMP Energy green pvt. Ltd. कार्यालय 309, तीसरा तल वन शेरतल होटल के पीछे सकेत नई दिल्ली
3. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण............

दावा बाबत् धारा 88 आर.टी.एक्ट **मुकदमा संख्या :– 188 / 2022**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम बडीसिड के खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 79 रकबा 3.6341 हैक्टेयर भूमि में वादी को 1/4 हिस्से ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ब.हि.ब. दर्ज रहेगा। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा कम हो। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.10.2022 को जारी की गई।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested